भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5269

दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए

सीएएमपीए के अंतर्गत कार्यकलापों हेतु निगरानी तंत्र

5269. श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत राज्यों को आवंटित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास यह जांचने के लिए एक निगरानी तंत्र है कि कैम्पा निधियों का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को कैम्पा शीर्ष के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान प्रतिकरात्मक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय कैम्पा की कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यवाहियों की वार्षिक योजना के अनुसार वनीकरण गतिविधियों और वनों, जैव-विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वन भूमि के विपथन के कारण वन एवं वृक्षावरण, पारिस्थितिकी सेवाओं और जल-विज्ञान संबंधी व्यवस्था के नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कैम्पा निधि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों द्वारा अपने वन अधिकारियों, निगरानी और मूल्यांकन विंग और स्वतंत्र तृतीय पक्षकार एजेंसियों के माध्यम से कैम्पा निधि के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण, वृक्षारोपण की अवस्थिति, क्षेत्र और वर्ष की सटीकता के लिए ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों द्वारा अपलोड की गई वृक्षारोपण की भू-स्थानिक डाटा (पॉलीगन) का विश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कैम्पा निधि के उपयोग के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों पर उचित कार्रवाई करता है।

*****

अनुबंध-I

'सीएएमपीए के अंतर्गत कार्यकलापों हेतु निगरानी तंत्र' के संबंध में श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा दिनांक 04.04.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5269 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**कैम्पा निधियां (रुपए करोड़ में)**		
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**
1	अंडमान और निकोबार	0.00	16.41	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1734.81	0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	1588.72	0.00	0.00
4	असम	560.81	0.00	0.00
5	बिहार	522.95	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	0.00	11.38	0.00
7	छत्तीसगढ	5791.70	0.00	0.00
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	20.70
9	दिल्ली	0.00	128.62	9.55
10	गोवा	238.16	0.00	0.00
11	गुजरात	1484.60	0.00	0.00
12	हरियाणा	1282.65	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	1660.72	0.00	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	0.00	764.54	0.00
15	झारखंड	4158.02	0.00	0.00
16	कर्नाटक	1350.37	0.00	0.00
17	केरल	81.59	0.00	0.00
18	लद्दाख	0.00	249.27	0.00
19	मध्य प्रदेश	5196.69	0.00	0.00
20	महाराष्ट्र	3844.24	0.00	0.00
21	मणिपुर	309.76	0.00	0.00
22	मेघालय	163.31	0.00	0.00
23	मिजोरम	212.98	0.00	0.00
24	ओडिशा	5933.98	0.00	0.00
25	पंजाब	1040.84	0.00	0.00
26	राजस्थान	1748.26	0.00	0.00
27	सिक्किम	392.36	0.00	0.00
28	तमिल नाडु	113.42	0.00	0.00
29	तेलंगाना	3110.38	0.00	0.00
30	त्रिपुरा	183.65	0.00	0.00
31	उत्तर प्रदेश	1819.63	0.00	0.00
32	उत्तराखंड	2675.09	0.00	0.00
33	पश्चिम बंगाल	236.48	0.00	0.00
	कुल	**47436.17**	**1170.22**	**30.25**